

परसीमन

प्रलिस के लयः

[परसीमन](#), परसीमन आयोग अधनियम 1952, [भारतीय संवधान](#), परसीमन आयोग, [15वाँ वतित आयोग](#), भारत नरिवाचन आयोग

मेन्स के लयः

परसीमन की आवश्यकता और संबंधति चतिरै।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्योँ?

[लोकसभा](#) और राज्य वधानसभाओं के लयि नरिवाचन कषेत्रों का [परसीमन वर्ष 2026](#) के बाद पहली जनगणना के आधार पर कयिा जाना है।

- वर्ष 2021 की जनगणना मूल रूप से [कोवडि-19 महामारी](#) और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण स्थगति कर दी गई थी।

परसीमन क्या है?

परचियः

- परसीमन का अर्थ है लोकसभा और वधानसभाओं के लयि प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और [कषेत्रीय नरिवाचन कषेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रकरयिा](#)।
 - इसमें इन सदनोँ में [अनुसूचति जाती \(SC\)](#) और [अनुसूचति जनजाति \(ST\)](#) के लयि आरकषति सीटों का नरिधारण भी शामिल है।
- यह 'परसीमन प्रकरयिा' ['परसीमन आयोग'](#) द्वारा की जाती है जसि संसद के एक अधनियम के तहत स्थापति कयिा जाता है।
 - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियमों के तहत परसीमन आयोग चार बार स्थापति कयिा गए हैं **वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002** में।
 - पहला परसीमन कार्य राष्ट्रपतिद्वारा (नरिवाचन आयोग की मदद से) वर्ष 1950-51 में कयिा गया था।

ऐतहासकि पृष्ठभूमिः

- लोकसभा की [राज्यवार संरचना](#) में [परविरतन लाने वाला अंतमि परसीमन वर्ष 1976](#) में पूरा हुआ और यह वर्ष **1971 की जनगणना के आधार पर** कयिा गया।
- भारत का [संवधान](#) यह आज्ञापति करता है कि [लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहयिे](#) ताकि सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग सामान हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चति करना है कि प्रत्येक व्यकर्ता के वोट का भारांक लगभग समान हो, भले ही वे कसिी भी राज्य में रहते हों।
 - हालाँकि इस प्रावधान का अर्थ यह था कि [जनसंख्या नरियंत्रण में कम रूचि रखने वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मलि सकती हैं](#)।
- इस तरह के परिणामों से बचने के लयि संवधान में संशोधन कयिा गया। **42वें संशोधन अधनियम, 1976** ने वर्ष 1971 के परसीमन के आधार पर **वर्ष 2000 तक** के लयि राज्यों में लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशकि नरिवाचन कषेत्रों में वभाजन पर रोक लगा दी।
- 84वें संशोधन अधनियम, 2001 ने सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर राज्यों में [कषेत्रीय नरिवाचन कषेत्रों के पुनर्समायोजन](#) और युक्तिकरण का अधिकार दयिा।
- 87वें संशोधन अधनियम, 2003 में नरिवाचन कषेत्रों के परसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर कयिा गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर।
 - हालाँकि यह [लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटति सीटों की संख्या में बदलाव कयिा बिना](#) कयिा जा सकता है।

संवधानकि प्रावधानः

- अनुच्छेद 82** के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधनियम बनाती है।
- अनुच्छेद 170** के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधनियम के अनुसार कषेत्रीयनरिवाचन कषेत्रों में वभाजति कयिा

जाता है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है परसीमन?

- **प्रतिनिधित्व:**
 - परसीमन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर सीटों की संख्या को समायोजित करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
 - यह "एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य" (one citizen-one vote-one value) के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **हसिसेदारी:**
 - परसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
 - इससे विशिष्ट क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व या अधिक प्रतिनिधित्व को रोकने में मदद मिलती है।
- **SC/ST के सीटों का आरक्षण:**
 - परसीमन संवैधानिक प्राधानों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षणित सीटों का आवंटन निर्धारित करता है, जिससे हाशिये पर स्थिति समुदायों के लिये पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- **संघवाद:**
 - परसीमन राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति के वितरण को प्रभावित करके संघीय सिद्धांतों को प्रभावित करता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिये जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और संघीय वचित्रों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
- **जनसंख्या नियंत्रण के उपाय:**
 - ऐतिहासिक रूप से, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या की स्थिति करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करना था। हालाँकि, आसन्न परसीमन प्रक्रिया बदलती जनसांख्यिकी के संदर्भ में इस नीतिकी प्रभावशीलता और नहितार्थ पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

परसीमन को लेकर कौन-सी चिंताएँ वदियमान हैं?

- **क्षेत्रीय असमानता:**
 - निर्णायक कारक के रूप में जनसंख्या के कारण लोकसभा में भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग के बीच प्रतिनिधित्व में असमानता है।
 - केवल जनसंख्या पर आधारित परसीमन दक्षिणी राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में की गई प्रगतिकी अवहेलना करता है और संघीय ढाँचे में असमानताओं का कारण बनता है।
 - देश की जनसंख्या का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% योगदान करते हैं।
 - उत्तरी राज्य जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं देते हैं तथा उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण परसीमन प्रक्रिया में उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:**
 - 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को अपनी सफ़ाई के आधार के रूप में उपयोग करने के बाद दक्षिणी राज्यों के संसद में वित्तपोषण और प्रतिनिधित्व खोने के बारे में चिंता व्यक्त की है।
 - इससे पहले 1971 की जनगणना को राज्यों के लिये वित्तपोषण और कर वचिलन सफ़ाई के आधार के रूप में उपयोग किया गया था।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रभावित करना:**
 - सीटों के निर्धारित परसीमन और पुनः आवंटन के परिणामस्वरूप न केवल दक्षिणी राज्यों के लिये सीटों की हानि हो सकती है बल्कि उत्तर में अपने आधार के साथ राजनीतिक दलों के लिये सत्ता में वृद्धि भी हो सकती है।
 - यह संभवतः उत्तर की ओर और दक्षिण से दूर शक्ति का स्थानांतरण कर सकता है।
 - यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिये आरक्षणित सीटों के विभाजन को भी प्रभावित करेगी (अनुच्छेद 330 और 332 के तहत)।

Table 1: If the number of seats is retained at 543 and reapportioned among States based on the projected population in 2026

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net gain/loss
U.P.	80	91	11
Bihar	40	50	10
Rajasthan	25	31	6
M.P.	29	33	4
Tamil Nadu	39	31	-8
Andhra + Telangana	42	34	-8
Kerala	20	12	-8
Karnataka	28	26	-2
Punjab	13	12	-1
Himachal	4	3	-1
Uttarakhand	5	4	-1

Table 2: If the number of seats is increased to 848 based on the projected population in 2026

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net gain
U.P.	80	143	63
Bihar	40	79	39
Rajasthan	25	50	25
M.P.	29	52	23
Tamil Nadu	39	49	10
Andhra + Telangana	42	54	12
Kerala	20	20	-
Karnataka	28	41	13
Punjab	13	18	5
Himachal	4	4	-
Uttarakhand	5	7	2

परसीमन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ कौन-सी हैं?

- अमेरिका में:
 - वर्ष 1913 से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (हमारी लोकसभा के समकक्ष) में सीटों की संख्या 435 तक सीमित कर दी गई है।
 - देश की जनसंख्या वर्ष 1911 के 9.4 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2023 में अनुमानतः 33.4 करोड़ हो गई है। प्रत्येक जनगणना के बाद 'समान अनुपात की वधि' (method of equal proportion) के माध्यम से राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है। इससे किसी भी राज्य को कोई महत्वपूर्ण लाभ या हानि नहीं होती है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर, पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- यूरोपीय संघ (EU):
 - 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संघ संसद में सीटों की संख्या को 'अधोगामी अनुपातकता' (Degressive Proportionality) के सिद्धांत के आधार पर 27 सदस्य देशों के बीच वभाजित किया गया है।
 - इस सिद्धांत के तहत, जनसंख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ेगा।
 - उदाहरण के लिये, लगभग 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क में 15 सीटें (प्रति सदस्य 4 लाख की औसत आबादी) हैं, जबकि 8.3 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में 96 सीटें (प्रति सदस्य 8.6 लाख की औसत आबादी) हैं।

परसीमन आयोग क्या है?

- नयुक्ति:
 - परसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपतिद्वारा नयुक्ति किया जाता है तथा भारत नरिवाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- संरचना:
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
 - [मुख्य नरिवाचन आयुक्त](#)
 - संबंधित राज्य के नरिवाचन आयुक्त
- कार्य:
 - सभी नरिवाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिये नरिवाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का नरिधारण करना।
 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षणित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

■ शक्तियाँ:

- आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत की राय प्रबल होती है।
- भारत में परसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय है, जिसके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

आगे की राह

- संघीय वचारों के साथ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की आवश्यकता है। सुझावों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिये स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ-साथ जनसंख्या के आधार पर वधायकों की संख्या में वृद्धि करते हुए लोकसभा सीटों की संख्या सीमित करना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न . परसीमन आयोग के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2012)

1. परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य वधिनसभा के सममुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कयिा जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)